न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 79 / 2022

उनवान

रामस्वरूप आत्मज देवलाल जति मीणा आयु 65 वर्ष निवासी ग्राम कचोलिया, तहसील दीगोद, जिला कोटा

—अपीलान्ट

बनाम

श्रीमति कमला बाई पत्नी चतुर्भुज जाति मीणा निवासी ग्राम मेहन्दी, तहसील दीगोद,जिला कोटा

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री घनश्याम नागर (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. श्री ओमप्रकाश प्रजापत (अभिभाषक रेस्पोडेण्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0टी0 एक्ट 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 11.01.2022 न्यायालय तहसीलदार दीगोद जिला कोटा कार्यवाही 183 बी0 राज0 का0 अधि0 प्रकरण 1 / 2021 बउनवान कमलाबाई बनाम रामस्वरूप

निर्णय दिनांक :13.06.2024

अपीलाण्ट द्वारा जर्ये अभिभाषक यह अपील राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र के साथ संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसील दीगोद मे कमलाबाई पत्नी चतुर्भुज प्रार्थी अपीलाण्ट ने अन्तर्गत धारा 183 बी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अधिनस्थ न्यायालय तहसील दीगोद द्वारा निर्णय दिनांक 11.01.2022 से स्वीकार करते हुए अप्रार्थी रामस्वरूप आत्मज देवलाल रेस्पोडेन्ट को बेदखली के आदेश दिये गये।

उक्त निर्णय की अप्रसन्नता में यह अपील दिनांक 21.10.2022 को पेश की गई। अपील पेश होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट, की ओर से श्री ओमप्रकाश प्रजापत एडवोकेट उपस्थित। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट का बहस अपील में कथन है यह कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही ग्राम कंवरपुरा, तहसील दीगोद स्थित आराजी खसरा नम्बर 86 रकबा 0.11 हेक्टर आराजी पर से बेदखल करने का आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को नोटिस दिये जाने पर अपीलाण्ट द्वारा जरिये अधिवक्ता अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक

अति. जिला कलक्टर
कोटा

15/07/2021 को जवाब प्रस्तुत किया उक्त जवाब में वर्णित तथ्यो का खण्डन रेस्पोडेन्ट द्वारा मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्यो से नही करने के बावजूद भी बेदखल करने का आदेश प्रदान कर दिया, अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नही दिया कि हाल खसरा नम्बर 86 के पुराना खसरा नम्बर 8 थे जिसके खातेदार रामप्रताप आत्मज माधो जी थे जिनके द्वारा उक्त आराजी दिनांक 18/07/1988 को अपीलाण्ट को बेचान कर प्रतिफल की राशि प्राप्त कर अपीलाण्ट को कब्जा प्रदान कर दिया तब से ही अपीलाण्ट काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजी पर केचमेंट कार्य किया गया। केचमेन्ट विभाग द्वारा भी अपीलाण्ट से आराजी अधिग्रहण की गई और बाद अधिग्रहण अपीलाण्ट को कब्जा प्रदान किया गया । इस प्रकार अपीलाण्ट का कब्जा बाद खरीद 1988 से निरन्तर चला आ रहा है। उक्त तथ्य के खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई कथन नही करने तथा अपीलाण्ट द्वारा साक्ष्य से वर्ष 1988 से कब्जा होने का सिद्ध करने के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र मियाद बाहर सिद्ध हो जाने के बाद भी रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार अपीलाण्ट को बेदखल करने का आदेश प्रदान कर दिया अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट मीणा जाति से है जिनके संबंध में अन्तर्गत धारा 183–बी, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है, अपीलाण्ट द्वारा रामप्रताप जी से खरीद इकरार नामा दिनांक 18/07/1988 के संबंध में न्यायालय सिविल न्यायाधीश दीगोद में संविदा की पालना का वाद प्रस्तुत कर रखा है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नही दिया कि रेस्पोडेन्ट का खसरा नम्बर 86 की आराजी से कभी भी कोई संबंध नही रहा है ना ही खातेदार रामप्रताप से रेस्पोडेन्ट का किसी प्रकार से कोई संबंध है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र में असत्य तथ्य वर्णित कर बेदखल करने का आदेश प्रदान कर दिया एवं दिनांक 15/09/2021 के बाद अपीलाण्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नही किया और बिना किसी साक्ष्य के अवसर प्रदान किये बिना ही एक पक्षीय रूप से अपीलाण्ट को सुने बिना ही आदेश पारित कर दिया, साक्ष्य एवं जिरह को अपीलाण्ट का नैसर्गिक अधिकार है। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिक दिनांक 06/08/2021 में वर्णित पटवारी रिपोर्ट अपीलाण्ट की बिना जानकारी के सूचना तैयार की है जिस पर अपीलाण्ट को आपत्ति प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नही किया साथ ही आदेशिका दिनांक 24/08/2021 में अपीलाण्ट के नाम पुनः नोटिस जारी बाबत वर्णित किया है जिसकी पालना में अपीलाण्ट को कोई नोटिस जारी नही किया और दिनांक 11/01/2022 को बिना बहस सुने ही अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में आदेश प्रदान कर दिया। खसरा नम्बर 86 की भूमि नहर व धोरे के बीच स्थित है जिस पर किशनलाल जी शर्मा का कब्जा है। अपीलाण्ट का कब्जा धोरे के दूसरी तरफ की जमीन पर है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय खसरा नम्बर 86 की आड़ में अपीलाण्ट के कब्जे वाली आराजी पर से बेदखल करने पर आमादा कमला बाई द्वारा खसरा नम्बर 86 केचमेन्ट से पूर्व की आराजी का बेचान कर दिया उक्त समय चतुर्भुज जी व किशनलाल जी जिन्दा थे जिनके द्वारा अपीलाण्ट को आराजी का बेचान होने से अपीलाण्ट के कब्जे वाली आराजी को बेचान से मना कर दिया। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट को बेचान की पूर्व से जानकारी थी। अपीलाण्ट ने कब्जे वाली आराजी को काफी मेहनत एवं पैसा खर्च करके उपजाउ बनाया है जिसमे वर्तमान में सोयाबीन की फसल पैदा की है तथा हांक जोतकर दूसरी फसल बोने पर है। इस प्रकार उक्त आराजी अपीलाण्ट के

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

जीवन निर्वाह का एक मात्र स्त्रोत है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जाकर रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सव्यय खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट का बहस में कथन है कि प्रार्थिया ने कभी भी उक्त आराजी का बेचान नहीं किया गया। उक्त भूमि को प्रतिपक्षी को जून 2019 से एक वर्ष पर मुनाफा काश्त पर जुपा रखी थी और प्रतिपक्षी प्रार्थीनी की सहमति से काश्त कर रहा था और मुनाफा की अवधि जून वर्ष 2020 में समाप्त हो गई थी। उक्त भूमि प्रार्थिनी के खाते दर्ज है। जिसकी प्रार्थिनी एक मात्र खातेदार काश्तकार चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 75 संलग्न है। तथा अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से उक्त आराजी को कब्जा काश्त किया जा रहा है। प्रार्थिनी जाति से मीणा है जो अनुसूचित जन जाति के अन्तर्गत आते है। तथा प्रतिपक्षी को प्रार्थिनी के खाते की आराजी या उसके किसी भाग पर किसी भी प्रकार से कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। तथा कानूनी प्रावधानों के विरूद्ध है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज जावे।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट की ओर से अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर0आर0डी 1996 पेज 350, आर0आर0डी 1996 पेज 351 आर0आर0डी 1996 पेज 352 आर0आर0डी 1996 पेज 353 आर0आर0डी 1996 पेज 354 आर0आर0डी 1996 पेज 355 प्रस्तुत किये गये जिनको भी ससम्मान अवलोकन किया।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। हम पाते है कि ग्राम कंवरपुरा तहसील दीगोद ख0न0व 86 रकबा 0.11 हैक्टर भूमि में जमाबन्दी सम्वत 2071–75 में कमलाबाई पत्नि चतुर्भुज जाति मीणा का नाम दर्ज है। प्रार्थिनी रेस्पोडेन्ट खातेदार है। रेस्पोडेन्ट प्रार्थिनी की जाति मीणा है जो अनुसूचित जनजाति वर्ग की श्रेणी में आती है। अपीलाण्ट की जाति मीणा है जो अनुसूचित जनजाति वर्ग में आती है। तहसीलदार दीगोद द्वारा जिसे बेदखली के आदेश दिये है जिसे हम उचित मानते है। रेस्पोडेन्ट धारा 183 बी के अन्तर्गत कब्जा प्राप्त करने का हकदार है। तहसीलदार दीगोद द्वारा अन्तर्गत धारा 183 बी के तहत की गई बेदखली की कार्यवाही आदेश दिनांक 11.01.2022 में हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अपील अस्वीकार योग्य पाते है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने के ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा

अति. जिला कलेक्टर
कोटा